# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | अपील संख्या | अपीलार्थीगण का नाम | प्रत्यर्थी विभाग |
|---|---|---|---|
| 1. | 1770/2024 | मुन्ना लाल | 1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।<br>2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर राजस्थान।<br>3. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।<br>4. पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा/कोटा ग्रामीण, राजस्थान। |
| 2. | 2938/2024 | प्रकाश चन्द | |
| 3. | 2988/2024 | दौलत राम | |
| 4. | 3084/2024 | कृष्ण मुरारी | |

आदेश की दिनांक : 08.11.2024
उपस्थित :–
अपीलार्थीगण की ओर से : श्री राकेश स्वामी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. उपरोक्त चारों अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा समान प्रकार के अनुतोष की मांग की गई है। अतः तीनों अपीलों का निस्तारण इस समान आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या–1770/2024 मुन्ना लाल बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी के दिनांक 01.06.2006 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण उन्हें आदेश दिनांक 25.04.2022 के द्वारा वर्ष 2015 से 2017 से तीन परीक्षा वर्षों तक आयोजित योग्यात्मक परीक्षा के लिये वंचित किया गया था। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कॉस्टेबल के पद पर हुई थी। अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय एसीपी का लाभ स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी ने 27 वर्षीय सेवा पूर्ण कर ली है, लेकिन अपीलार्थी को दिनांक 03.05.2023 से देय तृतीय एसीपी स्वीकृत नहीं की गयी है। दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने का प्रभाव एसीपी पर डाला जाकर अपीलार्थी को तृतीय एसीपी का लाभ समय पर नहीं दिया गया है। अपीलार्थी को तृतीय एसीपी का लाभ देय दिनांक से तीन वर्षों तक रोका गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. अपीलार्थी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1024/2018 श्रीराम बारूपाल बनाम राजस्थान

राज्य में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2021 प्रस्तुत किया है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार से मत व्यक्त किया है :–

> "The court clearly opined that the respodents having inflicted one punitive action of department of ACP for a period of 5 years because of the fact that the employee fathered a third child after 13.08.2004 and having been penalised, by no means, the respondents could have inflicted another adversity on the petitioner for the same cause.
>
> In that view of the matter, the issue raised by the petitioner is squarely covered by the judgment in the case of Parbat Singh (supra).
>
> So far as the submissions made by learned counsel for the respondents regarding taking action under two different orders is concerned, the mere fact that two diferent orders dealing with promotion as well as ACP are in existence, does not mean the same has to be applied to the same employee.
>
> The deferment of either promotion or ACP, as the case may be, is required to be applied to the subject employee, however, both the circulars cannot be applied to the same employee, for the same cause."

5. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि जहां एक आदेश/परिपत्र से अपीलार्थी को दण्डित किया जा चुका है, वहां दूसरे आदेश के आधार पर अपीलार्थी को उसी कारण के आधार पर दण्डित किया जाना उचित नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी को 01.06.2002 के पश्चात् 2 से अधिक संतान होने की दशा में 3 वर्ष तक योग्यात्मक परिक्षा के लिए वंचित रखा जा चुका है, तो वहां पर अपीलार्थी को दूसरी बार उसी कारण के आधार पर 3 वर्षो तक ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने पर रोक लगाई जाना उचित नहीं है।
6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थीगण की समस्त अपीलें स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थीगण को एसीपी का लाभ देय दिनांक से प्रदान किया जाए।
7. मूल आदेश को अपील संख्या 1770/2024 में एवं इसकी छायाप्रति उपरोक्त तालिका में अंकित अन्य दोनों अपीलों में संलग्न की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)